रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4887] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940
No. 4887] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6117(अ).— प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 231(अ) तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए;

और, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य 2.028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अब्दासा तालुका/तहसील में स्थित है;

और, भारतीय बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे घास मैदानों में रहने वाले एक बड़े पक्षी हैं। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (केबीएस) कच्छ जिले के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो 23° 12' उत्तरी अक्षांश और 68° 43' पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस क्षेत्र को कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के रूप में वन और पर्यावरण विभाग द्वारा गुजरात सरकार की अधिसूचना सं. जीवीएन-92-17-डब्लूएलपी-1090-2027-वी-2 दिनांक 4 जुलाई 1992 को घोषित किया गया है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अब्दासा तालुका के जखाऊ एवं बुड़िया ग्रामों में स्थित 202.86 हेक्टेयर भूमि का एक छोटा भाग है। इस क्षेत्र में जखाऊ ग्राम की सर्वेक्षण संख्या 844, 1482, 1483, 1484 और 1485 और बुड़िया ग्राम की सर्वेक्षण संख्या 93,94,95,101 और 102 सम्मिलित हैं। कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य में जखाऊ एवं बुड़िया का भूमि क्षेत्र लगभग 101.58 हेक्टेयर और 101.28 हेक्टेयर सम्मिलत है। भारतीय बस्टर्ड, बस्टर्ड परिवार के सबसे खतरनाक जीव में से एक है। प्रजातियां भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 का 1972) की अनुसूची- I के अधीन सुरक्षित है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (रेड डाटा बुक) द्वारा भारतीय बस्टर्ड को गंभीर रूप से लुप्तप्राय वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह बहुत छोटी और जनसंख्या घट

रही है। जीईईआर संस्थान (2003-2008) के द्वारा किए गए अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को प्रस्तावित किया गया है। यह विद्यमान आवास को संरक्षित करने और संरक्षण की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में घोषित करके, हम भारतीय बस्टर्ड को पारिस्थितिकी प्रणाली और इसके निवास स्थान की पुनःस्थापन कर सकते हैं;

और, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की गई महत्वपूर्ण प्रजातियां शिंक (*ओफिसोप्स माइक्रोलिपीस*), ट्रिंकेट साँप (*कोलेग्राथस हेलेनस*), भारतीय गिरगिट (*चमेलेन ज़ेलेनिकस*), सॉ स्कैलड वाइपर (*इचिस कैरिनैटस*), ब्लैक हेडेड रॉयल साँप (*स्पेलरियोसोफिस एटरीकेप्स*), भारतीय स्टार कछुआ (*जियोकेलोन एलिगेंस*), हार्डविकस जोंक (*ब्रैचिसौरा माइनर*), स्पिनी-पूंछ छिपकली (*सारा हार्डविकि*), कॉमन इंडियन मॉनिटर (*वारानस बेंगलेंसिस*), मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडाइलस पैलस्ट्रिस*), बैंडेड रॉक गिक्को (*साइरटोडैक्टाइलस कचेनसिस*), चेकरड केबैक (*एक्सनोचीरोफिस पिसकैटर*), बफ़स्ट्रिपिपेड केबैक (*एम्फ़िस्मा स्टोलाटम*), इंडियन सैण्ड बोआ (*इरीक्सजोहनी*), इंडियन भेड़िया साँप (*लाइकोडोन ऑलिकस*), रसेल वाइपर (*दबोइया रससेलि*), सामान्य करैत (*बैंगारस कैर्यूलेस*), इंडियन फ़्लैंसशेल कछुआ (*लिसेमीस पंक्टाटा*), सामान्य बागीचा छिपकली (*कैलोट्स वरसीकलर*), फैन थ्रोएटेड छिपकली (*सीताना पोंटीसीरियाना*), येल्लो-बेलीड हाउस गिक्को (*हेमिडेक्टीलस फ्लैविविरीडीस*), रसेलस अर्थ बोआ (*गोंगिलोफिस कोनीकस*), भारतीय चूहा साँप (*पीटास म्यूकोसा*), भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा*), आदि हैं।

और, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य से प्रमुख वनस्पतियां रण भिंडी, जंगली भिंडी *(एबेलमोस्चस मनीहोट),* चानोथी, गुंजा *(एब्रस प्रेसिटेरियस एल.),* जिन्की खापत, सेनेरी दबलीर *(अबुटिलॉन फ्रूटिकोसम गिल.),* खापत, दब्लीयार *(अबुटिलॉन इंडिकम),* भोनीखांस्की *(अबुटिलोन थियोफ्रास्टी),* ऑस्ट्रेलियन बावल *(अकाकिया ऑरिक्युलिफॉर्मिस),* अकाकिया बिनोसा, तलबावरी *(अकाकिया जौक्वेमोंटी),* हर्मोबावल, हिवर, समदी *(अकाकिया लेकोफ्लोआ),* देशी बावल, मिथो बावर *(अकाकिया निलोटीका),* गोरद, मिथो खेर, कुंभत *(अकाकिया सेनेगल),* दादरी, रुंचलो दाद्रो *(अकालीफा सिलीटा फोर्स्क.),* वैचिकाटो *(अकालीफा इंडिका),* अघडो *(अच्यर्मेश एस्पेरा वार. एस्पेरा एल.),* सोनार *(अच्यंत्रेश एस्पर वार. पोर्फिरिस्टा एचके.एफ.),* गोरख, रुखडो *(एडानसोनिया डिजिटाटा एल.),* अर्दुसी *(अदहाटोडा ज़ेलेनिका),* बिली *(एग्ले मार्मेलोस),* कपुरी *(अर्व लानाला),* बुव, बाउ, गोरखगंजो रंबन, केटाकी *(एग्वेव अमरिकाना एल.),* रुखडो, मोटो अर्डुसो *(एइलंथस एक्सेलस रोक्सब.),* शिरीष *(अल्बिज़िया अमारा बोविइन.),* डोंगारी *(एलियम सीपा एल.), लासन (एलियम सैटिवम एल.),* कुनवाइपाटो, एरियो, गिंगवार *(एलो बारबाडेन्सिस मिल.),* कंधेरी (*एम्बरोबा रैमोस*), करीयातु (*एंड्रोग्राफिस इकोयोइड्स*), सुवा (*एनेथम ग्रेवोलेंस एल.*), चोडारो (*एनीसोमेलस इंडिका*), एरेडी, दारदी (*अर्गमोन मेक्सिकाना एल.*), अंगारियो (*बालानाइट्स एजिप्चिका*), कंता एसेरियो (*बरलेरिया प्रिओनाइटिस*), पोई (*बेसला रूबरा*) *फिलिप*), साग (*टेक्टोना ग्रैंडिस*), छत्रो सरपंको (*टेफ्रोसिया पॉसीफ्लोरा ग्राह.*), सतोदो (*त्रियांलेमा पोर्टुलाकास्ट्रम एल.*), सतोदी (*त्रिंथाहेमा ट्राक्वेट्रा रोटल.*), भूरती, जापाती (*ट्रायमफेटा रोडोमिडा जैक.*), नागोड (*विटेक्स निगुंडो एल.*), दोदी, मोतीडोदी, माल्ती (*वट्टाकाका वाल्बिलिस*), असोंध, अश्वगंध (*विस्थान सोमनिफेरा (एल.) डनल*), समरपानी (*जोर्निया गिबोसा स्पैन*), पटलानी, अथेली, अलेथी (*ज़ीगोफिलम सिम्प्लेक्स एल.*), वाडी सदेबी (*वेमोनिया सिनेरस्केंस एसएच-बिप.*), सहदेवी, सडेदी (*वर्नोनिया सिनेरेरिया (एल.) लेस.*), सोनासाली (*विकोका इंडिका (एल.) डीसी.*), मुथ (*विग्रा एकोनीटिफोलिया (जैक.) मरेचल*), चौला (*विग्रा कैटजांग वालप.*), जागली मग, एडबौ मग (*विग्रा रेडिटा वार. सब्लोबाटा (रोक्सब.) वर्डे.*), काग्डा वेल (*विग्रा त्रिलोबता (एल.) वर्ड.*), बनफसा (*व्हायोला सिनेरेरा वार स्टॉकि (बोइस.) बेक.फॉर्मा*), ओर्जो ज़ेड (*ज़िज़िफस मॉरीटियाना लैम.*), आदि अभिलिखित हैं।

और, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां *कनवल्वुलस स्टॉकसी बोइस, हेलिक्रिसम कटचिकम, हेलियोट्रोपियम बेसीफ़ेरम फोर्सक, कॉमिफोरा विटटी (एम. भंडारी), हेलियोटोपियम रारिफ्लोरम स्टॉक्स, पैवोनिया सीराटोकार्पा मस्ट, सिडा तिग्गी भंडारी, आर्डेओटिस निग्राइसप्स, सारा हार्डविकि (इंडियन स्पाइनी-टेल्ड लिजार्ड), वेनेलस*

ग्रेगरीयस, हेमीचिनस कॉलारिस (कोलार्ड हेडगेहोग), सिपियोटिड्स इंडिका, फेलिस सिल्व्हेस्ट्रीस, गज़ेले बेंनेटी आदि हैं। जबकि शिंक (ओफिसॉप्स माइक्रोलिपिस) इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानिक प्रजाति हैं।

और, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 36.70 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर 0 किलोमीटर से 36.70 किलोमीटर तक है और क्षेत्रफल 219.78 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I क-ख** के रुप में उपाबद्ध है ।

(**3**) भू-निर्देशांकों, भूमि उपयोग पैटर्न, उपग्रह चित्र और मानचित्र अवस्थान के साथ कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख और उपाबंध-II ग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क और ख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध –IV** में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों के सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा और इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी और संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को विनियमित करेगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैराग्राफ 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों नदियों और जलसरणियों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो ।

(3) पर्यटन.–

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के साथ परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) कच्छ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, नये होटलों या रिसोर्टों का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । परन्तु यह कि, कच्छ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जोन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की

जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

IndiaCode

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ख) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	**(2)**	**(3)**
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना और अन्य क्रियाकलाप भी सम्मिलित है। (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में

		वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहद जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-पवन चक्की का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के

		उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (ख) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाना और तार-बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	सरकार द्वारा बंजर भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

IndiaCode

21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	वायु और वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पवन चक्की के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग करना ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	सौर ऊर्जा।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

45.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का संविधान**	**पद**
1.	कलेक्टर, कच्छ-भुज	- अध्यक्ष;
2.	परिस्थितिकी विशेषज्ञ/वैज्ञानिक, गुजरात मरुभूमि पारिस्थितिकी संस्थान, भुज	–सदस्य;
3.	पंचायत का अधिकारी: संबंधित खंड के खंड विकास अधिकारी	– सदस्य;
4.	राजस्व विभाग का अधिकारी: संबंधित खंड का मामलादर	-सदस्य;
5.	पर्यावरण, जिसके अंतर्गत कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
7.	भूविज्ञान विभाग का अधिकारी: भूविज्ञानी, भुज	-सदस्य;
8.	सहायक वन संरक्षक, कच्छ, पश्चिमी संभाग, भुज	-सदस्य;
9.	संबंधित रेंज के रेंज वन अधिकारी	-सदस्य;
10.	उप वन संरक्षक, कच्छ, पश्चिमी संभाग, भुज	- सदस्य-सचिव ।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

IndiaCode

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/43/2017-ईएसजेड]

सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध I क-ख

क. कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार

विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार	उत्तर	0.0 किलोमीटर
	उत्तर-पूर्व	31.30 किलोमीटर
	पूर्व	36.70 किलोमीटर
	दक्षिण-पूर्व	34.00 किलोमीटर
	दक्षिण	5.70 किलोमीटर
	दक्षिण-पश्चिम	1.90 किलोमीटर
	पश्चिम	0.0
	उत्तर-पश्चिम	0.0 किलोमीटर

जखाऊ ग्राम में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दूरी अभयारण्य की सीमा से 'शून्य' मीटर रखी गयी है।

ख. कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण	
उत्तर	नलिया, छदुरा, अशापार, गुड्दर, सुखपार बारा, तेरा ग्राम सीमा।

उत्तर- पूर्व	नलिया, ध्रुफी मोती, ध्रुफी नानी ग्राम सीमा।
पूर्व	बेराचिया, मोथला, नुन्दहतद, हल्पाल ग्राम सीमा।
दक्षिण-पूर्व	हलापार, विंजन ग्राम सीमा।
दक्षिण	विंजन, नोगोर, भाचुंडा, सन्धाव, कोठरा, भानादा, वादापाधार, प्रजू, सिंधोदी मोती, वरूनोरी बद्दिया ग्राम सीमा।
दक्षिण-पश्चिम	अरब सागर।
पश्चिम	जखाऊ ग्राम सीमा
उत्तर-पश्चिम	जखाऊ ग्राम सीमा

अनुसूची "क":

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं 2 खण्डों में विभाजित है, खण्ड-1 और खण्ड-2।

खण्ड -1 में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जसपर ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या -77 की बाहरी सीमा से अक्षांश-देशांतर उ 23-14-32.57 और पू 68-47-29.12 "इंवर्टेड वी आकार" बिंदु से आरंभ होती है और लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 0.9 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 85 और 86 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु के अंत में यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से जसपर ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 59 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। बाद में यह लगभग 2.97 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 149 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती प्रजू ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 550 की बाहरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है अक्षांश-देशांतर उ 23-11-23.91 और पू 68-49-43.47 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से वदापादार ग्राम की वन सर्वेक्षण संख्या 304 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 304 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-11-14.06 और पू 68-52-27.93 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 304 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है। बाद में यह लगभग 0.66 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती प्रजू ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 550 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 3.13 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 550 पश्चिम दिशा के साथ जाती है। इस बिंदु में यह लगभग 5.44 किलोमीटर की दूरी से विंगावेर और लाला ग्रामों की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 34,35 और 36 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 37, 38 और 47 के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.48 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 50, 49 और 48 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-07-46.88 और पू 68-44-49.16 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 3.63 किलोमीटर की दूरी से समीपवर्ती रनपुर ग्राम के वन सर्वेक्षण संख्या 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54 के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 112, 111, 110 और 108 के साथ उत्तर पश्चिम

दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह सड़क को पार करके उत्तर पूर्व दिशा में जाकर और लगभग 1.48 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 57/1, 62, 63/1, 105, 106 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 0.82 किलोमीटर की दूरी से बूदिया ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 106, 105, 104, 65 और 58 के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 101, 1482 और 844 के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.22 किलोमीटर की दूरी से वन सर्वेक्षण संख्या 844, 1484 और 1485 पूर्व दिशा के साथ जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 17, 86, 85, 84, 21 और 22 से होते हुए, वन सर्वेक्षण संख्या 89, 88, की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 16, 19, 20/1, 20/2, 25 से होते हुए बूदिया ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 22, 23, 24, 25, 15 के साथ दक्षिण पूर्व में जाती है इसके बाद सड़क को पार करके और लगभग 2.99 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 25, 26, 27, 213, 212, और 214 के साथ जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.98 किलोमीटर की दूरी से कुकदौ ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 143, 175, 138, 139/2,139/1 और 141 के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 81, 73, 142, और 162/1 के साथ पश्चिम दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 162/1, 4, 5/3, 5/2, 6 और 8 के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इस बिंदु से यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 8, 12/2,12/3,14/1, 13, 15 16, 19, 30, 32/1, 36, और 51 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 68 से होते हुए कुकादौ ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 51, 52, 56/1, 57,68/2, 68, 169 के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है इसके बाद सड़क पार करके और लगभग 1.32 किलोमीटर की दूरी से कृषि सर्वेक्षण संख्या 71 की बाहरी सीमा चिन्हित करती है। इसके बाद कृषि सर्वेक्षण संख्या 37/1, 75, 51, के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है, लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से जसपर ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या 77 से होते हुए सड़क को पार करती है और खण्ड -1 के आरंभिक बिंदु को छूती है।

खण्ड -2 में, जो खण्ड -1 के उत्तर-पूर्व कोण से आरंभ होकर, यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 173 के निकट सुदाधारो नानी ग्राम सीमा के कोण बिंदु से आरंभ होकर और लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से उत्तर दिशा में नालिया और सुदाधारो ग्राम सीमा के बीच से होते हुए जाती है। इसके बाद इस बिंदु से यह नालिया और सुदाधारो नानी के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाकर और लगभग 3.30 किलोमीटर की दूरी से अक्षांश-देशांतर उ 23-16-43 .75, पू 68-50-59.36 के आशापार, सुदाधारो नानी और सुदाधारोमोती के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह लगभग 1.70 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती और छदोरा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इसके बाद यह सुदाधारोमोती और कुरथर के बीच ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर, सुदाधारोमोती और सुखपर बारा की ओर जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.63 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती और तेरा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा जाती है। इसके बाद यह कला तलव और तेरा के बीच ग्राम सीमा के साथ लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से कला तलव और तेरा के बीच सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.98 किलोमीटर की दूरी से कला तलव, तेरी और कोनाथिया के बीच सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2 किलोमीटर कि दूरी से कोनाथिया, धुफी नानी और तेरा ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी और तेरा के बीच सीमा के साथ उत्तर दिशा में

जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.40 किलोमीटर की दूरी से तेरा, धुफी नानी और धुफी मोती के ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-16-25.36 और पू 69-00-14.63 में समाप्त होती है। इस बिंदु से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 298, 287, 421/2, की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है, इसके बाद सड़क को पार करके, कृषि सर्वेक्षण संख्या 25/पीटी, 51, 63 के बाद, लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से 294 से सड़क को पार करती है। इसके बाद यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 293, 365/1 की बाहरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, इसके बाद लगभग 1.81 किलोमीटर की दूरी से सड़क को पार करती है। इस बिदुं से यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 286, 287, 359, 350, 349, 338 के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी से धूफी नानी ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 98 के उत्तर पूर्व कोण में समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 0.99 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी और बिट्टा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह बिट्टा और धुफी नानी के बीच सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 1.32 किलोमीटर की दूरी से धुफी नानी, बिट्टा और बितियारी ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह बिट्टा, बैचुन्दा के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और लगभग 2.90 किलोमीटर की दूरी से बिट्टा, बितियारी और रवा ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से रवा और बिट्टा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह बिट्टा और रवा के बीच ग्राम सीमा के साथ पूर्व दिशा में जाकर और बिट्टा, रवा, बवनीपार और बेराचिया के जंक्शन को पार करके समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 1.70 किलोमीटर की दूरी से रवा और बेराचिया के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.65 की दूरी से रवा और बेराचिया के बीच ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी से रवा और मोथाला की ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-11-34.52 और पू 69-04-15.92 पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह रवा और मोथाला के बीच सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में गधवालावडा और नुंधतड के बीच सीमा के बाद जाती है और लगभग 4.2 किलोमीटर की दूरी से गधवालावडा, नुंधतड, हजापार और मियानी चार ग्रामों के जंक्शन को पार करके समाप्त होती है। इस बिंदु से यह गधवालावडा और हजापार की सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 1.65 किलोमीटर की दूरी से गधवालावडा, हजापार और धनवारा वडा के त्रि-जंक्शन बिंदु पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह हजापार और धनवारा वडा की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा, हजापार और विंझन के त्रि-जंक्शन बिंदु पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा और विंझन की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और अक्षांश-देशांतर उ 23-07-26.90 पू 69-01-40.01 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह विंझन और धनवारा वडा की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से धनवारा वडा, गधवाला वडा और विंझन के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह गधवालावडा और विंझन ग्राम सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 2.47 किलोमीटर की दूरी से विंझन, गधवालावडा और संधव के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से संधव और गधवालावडा की ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 1.15 किलोमीटर की दूरी से संधव और गधवालावडा की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.14 किलोमीटर की दूरी से संधव, गधवालावडा और नगोर की सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह गधवालावडा और नगोर की ग्राम सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाकर और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से नगोर, गधवालावडा और बितियारी के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इस बिंदु से यह बितियारी और नगोर ग्राम सीमाओं के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से बितियारी, नगोर और संधव ग्रामों के त्रि-जंक्शन पर

समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 4.12 किलोमीटर की दूरी से संधव, बांचुडा के बीच ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद यह लगभग 2.64 किलोमीटर की दूरी से बितियारी और बांचुडा के बीच सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद यह बांचुडा ग्राम के कृषि सर्वेक्षण संख्या 345, 41, 40, 37, 36, 414, 34, 18, 291/2, 290/1 और वन सर्वेक्षण संख्या 357 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी से अक्षांश-देशांतर उ 23-13-25-68 और पू 68-58-38.04 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह बांचुडा और कुनातिया की ग्राम सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाकर और लगभग 3.46 किलोमीटर की दूरी से बांचुडा, कुनातिया और कला तलव के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह कला तलव और बांचुडा के बीच सीमा, इसके बाद खीरासारा और बांचुडा के बीच सीमा, इसके बाद खीरीसारा और संधव के बीच सीमा के साथ दक्षिण दिशा में जाकर और लगभग 6.6 किलोमीटर की दूरी से खीरीसारा, संधव और कोथारा के त्रि-जंक्शन पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 2.80 किलोमीटर की दूरी से खीरीसारा और खोतारा के बीच ग्राम के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में जाकर और अक्षांश-देशांतर उ 23-09-13.72 और पू 68-56-00.38 पर समाप्त होती है। इसके बाद यह लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी से कोथारा-खीरीसारा के बीच ग्राम सीमा, इसके बाद भांडा और खीरीसारा के बीच सीमा के साथ उत्तर दिशा में जाती है। इसके बाद यह वन सर्वेक्षण संख्या 387, 380 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में जाती है, इसके बाद लगभग 3.50 किलोमीटर की दूरी से भांडा ग्राम की कृषि सर्वेक्षण संख्या 80, सड़क को पार करके वन सर्वेक्षण संख्या 379, सड़क को पार करके वन सर्वेक्षण संख्या 377, 347 और सड़क को पार करके कृषि सर्वेक्षण संख्या 89, सड़क को पार करके कृषि सर्वेक्षण संख्या 100, वन सर्वेक्षण संख्या 346, 345, वन सर्वेक्षण संख्या 341 और कृषि सर्वेक्षण संख्या 18 सड़क को पार करती है। इसके बाद यह कृषि सर्वेक्षण संख्या 22, 23, 24/2, 24/1 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर दिशा में सड़क को पार करके 328 और लगभग 3.50 किलोमीटर की दूरी से सुदाधारोमोती की सीमा पर समाप्त होकर खण्ड -2 के आरंभिक बिंदु को छूती है।

<u>अनुसूची "ख":</u>

सीमा दिशाएं:

उत्तर: जखाऊ, नलिया, छदुरा, अशापार, गुड्डर, सुखपार बारा, तेरा, ध्रुफीमोटी, ध्रुफनीनी और बिट्टा की ग्राम सीमाएं।

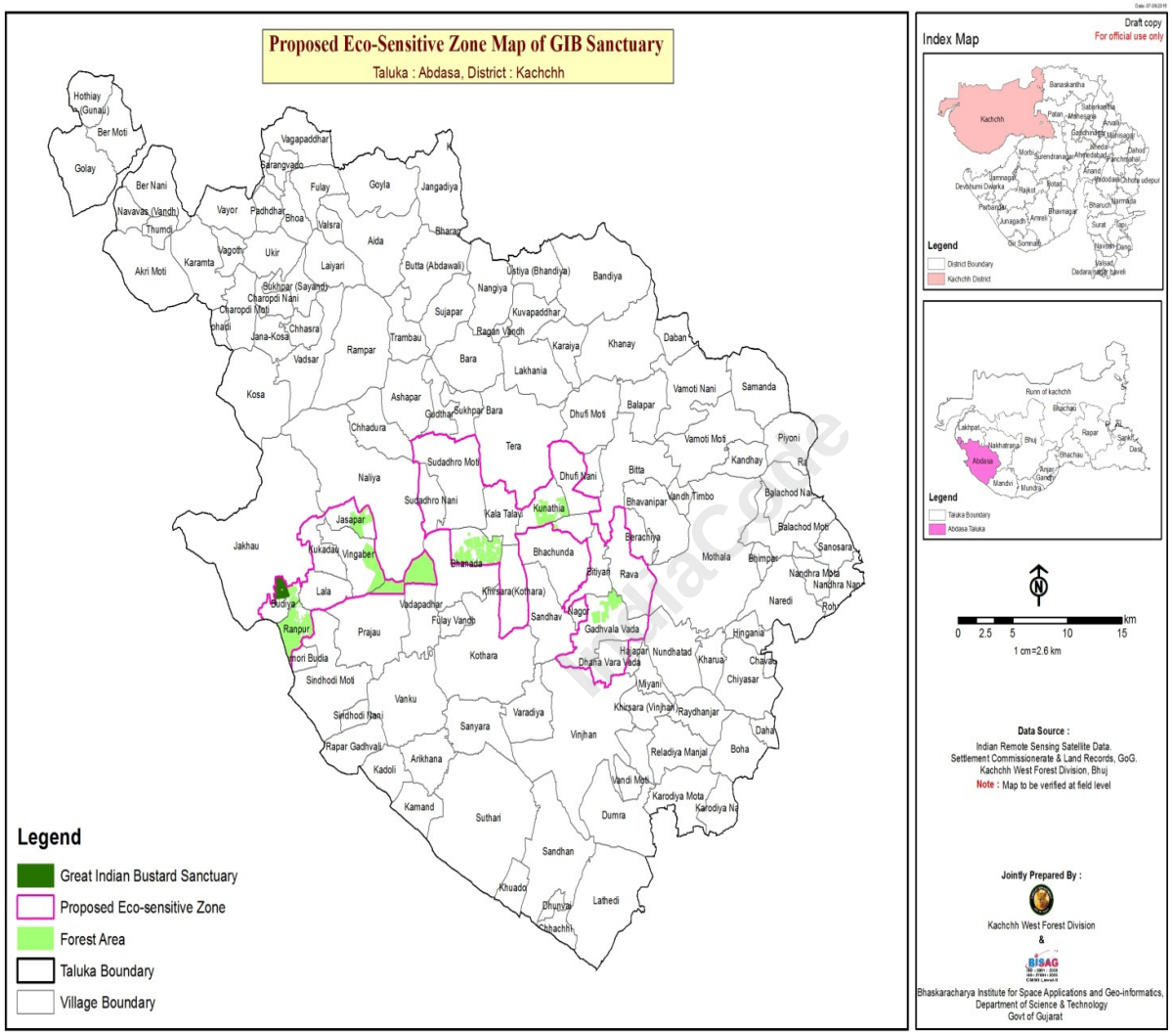
पूर्व: भवानीपार, बेराचिया, मोथला, नंदहत की ग्राम सीमाएं।

दक्षिण: मियानी, हजापार, विंजान, नागौर, भचुंडा, संधव, कोठरा, भानादा, वादापाधार, प्रजू, सिंधोदीमोटी और वरूनोरी बूदिया की ग्राम सीमाएं।

पश्चिम: जखाऊ और आसपास के समुद्र तट की ग्राम सीमाएं।

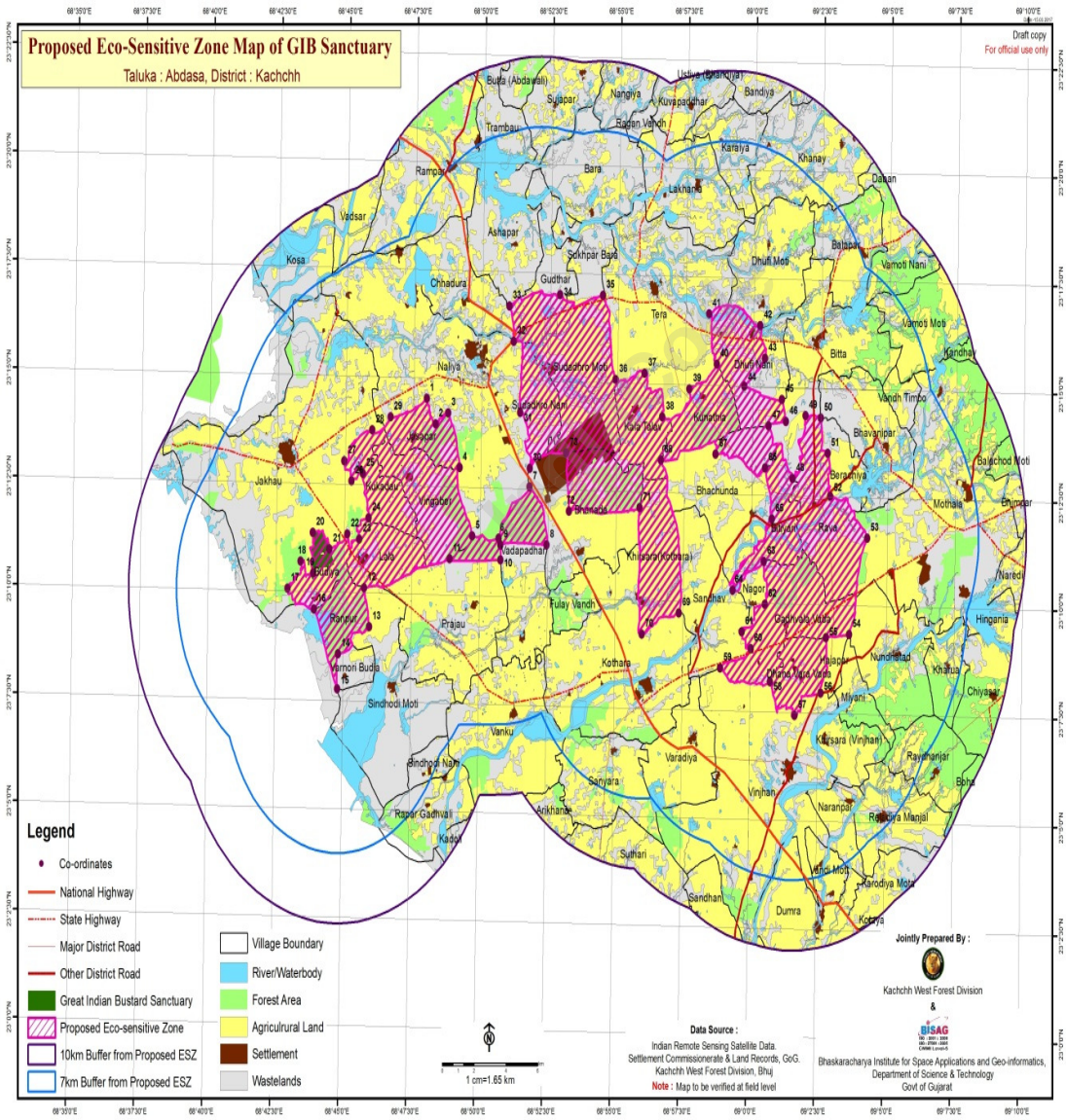
उपाबंध II-क

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)



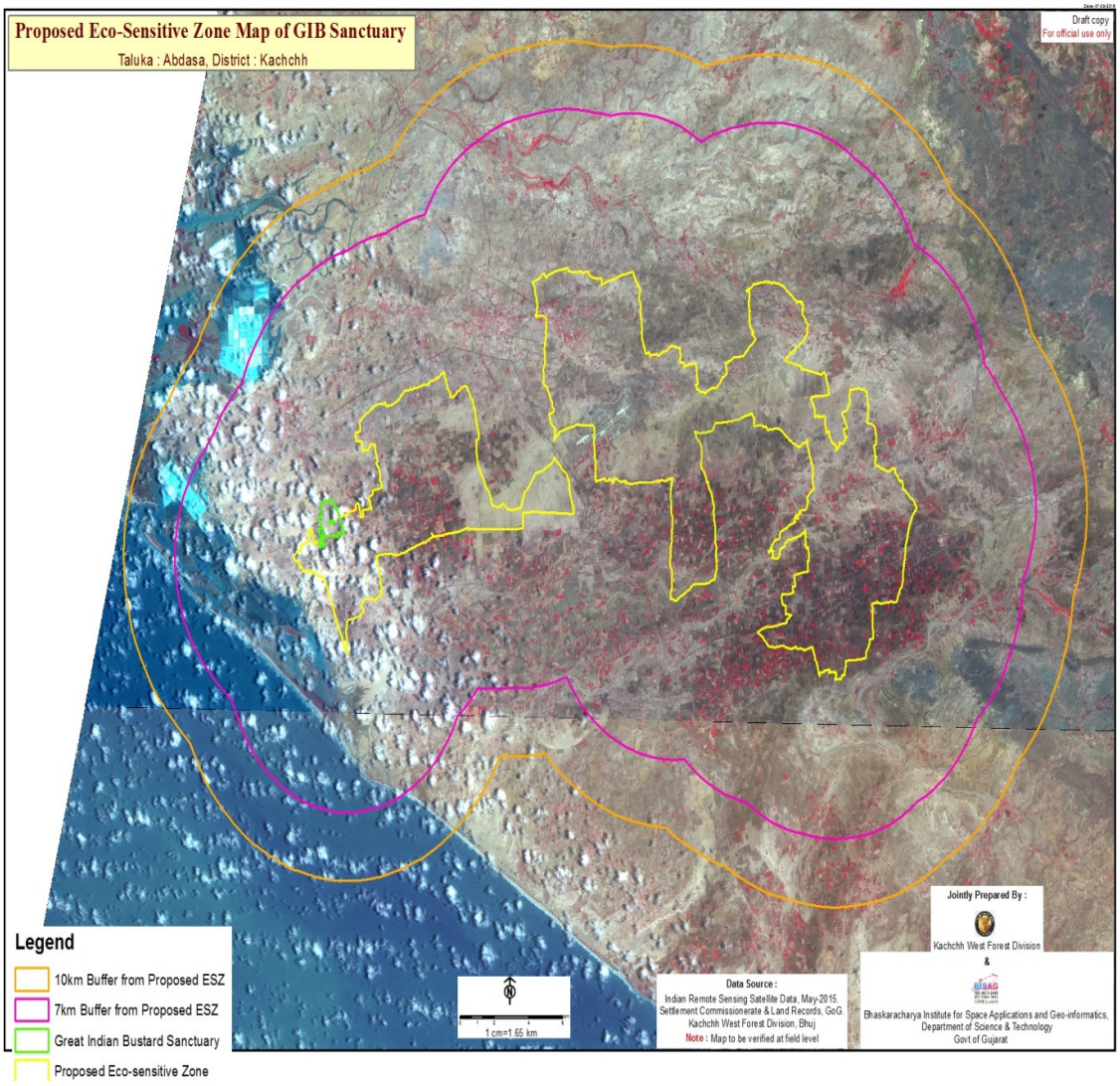
उपाबंध II-ख

मुख्य अवस्थानों के साथ कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर का भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध II-ग

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र का उपग्रह चित्र



उपाबंध III

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की सीमा के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

सारणी क: **संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक** (संलग्न उपाबंध- **II** क के अनुसार)				
क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशाएं	अक्षांश *(उ)* (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर *(पू)* (डीएमएस प्रारूप)
1	*19*	-	23°10'46.400"उ	68°43'52.270"पू
2	*20*	-	23°11'23.230"उ	68°43'50.770"पू
3	*21*	-	23°11'2.450"उ	68°44'27.200"पू

सारणी ख: **संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक** (संलग्न उपाबंध- **II** क के अनुसार)				
क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशाएं	अक्षांश *(उ)* (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर *(पू)* (डीएमएस प्रारूप)
1	1	-	23°14' 32.575" उ	68° 47' 59.120" पू
2	2	-	23°13' 57.717" उ	68°48' 19.199" पू
3	3	-	23°14' 13.235" उ	68° 48' 46.659" पू
4	4	-	23°12' 58.067" उ	68° 49' 13.527" पू
5	5	-	23°11' 23.907" उ	68° 49' 43.469" पू
6	6	-	23°11' 21.717" उ	68° 50' 41.689" पू
7	7	-	23°12' 33.907" उ	68°51' 48.637" पू
8	8	-	23°11' 14.061" उ	68°52' 27.929" पू
9	9	-	23°11' 12.502" उ	68°50' 46.185" पू
10	10	-	23°10' 51.514" उ	68° 50' 46.536" पू
11	11	-	23°10' 51.183" उ	68°48' 54.077" पू
12	12	-	23°10' 7.622" उ	68°45' 45.900" पू
13	13	-	23°9' 14.123" उ	68°45' 57.764" पू
14	14	-	23°8' 35.146" उ	68°44' 50.092" पू
15	15	-	23°7' 46.884" उ	68°44' 49.158" पू
16	16	-	23°9' 36.373" उ	68° 43' 55.796" पू
17	17	-	23°10' 4.586" उ	68°42' 56.636" पू
18	18	-	23°10' 42.160" उ	68°43' 24.686" पू
19	19	-	23°10' 26.381" उ	68°43' 52.566" पू
20	20	-	23°11' 22.529" उ	68°43' 50.777" पू
21	21	-	23°11' 0.510" उ	68°44' 28.219" पू
22	22	-	23°11' 21.957" उ	68°45' 7.146" पू
23	23	-	23°11' 15.233" उ	68°45' 33.866" पू
24	24	-	23°11' 44.974" उ	68°45' 53.938" पू

Indiacode

25	25	-	23°12' 46.361" उ	68°45' 39.926" पू
26	26	-	23°12' 35.607" उ	68°45' 15.171" पू
27	27	-	23°13' 3.142" उ	68°44' 58.703" पू
28	28	-	23°13' 46.909" उ	68°45' 59.551" पू
29	29	-	23°14' 5.618" उ	68°46' 39.451" पू
30	30	-	23°12' 59.452" उ	68°51' 48.338" पू
31	31	-	23°14' 16.412" उ	68°51' 25.943" पू
32	32	-	23°15' 54.597" उ	68°51' 9.954" पू
33	33	-	23°16' 43.753" उ	68°50' 59.362" पू
34	34	-	23°17' 1.411" उ	68°52' 51.153" पू
35	35	-	23°17' 1.595" उ	68°54' 25.939" पू
36	36	-	23°15' 6.012" उ	68°54' 56.130" पू
37	37	-	23°15' 15.483" उ	68°56' 0.000" पू
38	38	-	23°14' 15.876" उ	68°56' 40.212" पू
39	39	-	23°14' 55.135" उ	68° 57' 39.503" पू
40	40	-	23°15' 30.662" उ	68°58' 39.209" पू
41	41	-	23°16' 40.153" उ	68°58' 20.771" पू
42	42	-	23°16' 25.361" उ	69° 0' 14.635" पू
43	43	-	23°15' 40.244" उ	69°0' 25.889" पू
44	44	-	23°15' 1.087" उ	68°59' 40.684" पू
45	45	-	23°14' 44.027" उ	69°1' 4.332" पू
46	46	-	23°14' 13.645" उ	69°1' 13.716" पू
47	47	-	23°14' 6.881" उ	69°0' 35.490" पू
48	48	-	23°12' 54.832" उ	69° 1' 29.697" पू
49	49	-	23°14' 22.508" उ	69°1' 56.736" पू
50	50	-	23°14' 19.582" उ	69°2' 30.449" पू
51	51	-	23°13' 30.690" उ	69°2' 46.492" पू
52	52	-	23°12' 31.931" उ	69°2' 53.259" पू
53	53	-	23°11' 34.517" उ	69°4' 15.919" पू
54	54	-	23°9' 20.545" उ	69°3' 38.310" पू
55	55	-	23°9' 15.702" उ	69°2' 47.104" पू
56	56	-	23°7' 58.812" उ	69°2' 36.654" पू
57	57	-	23°7' 26.897" उ	69°1' 40.006" पू
58	58	-	23°8' 12.395" उ	69°0' 45.001" पू
59	59	-	23°8' 29.851" उ	68°58' 54.151" पू
60	60	-	23°8' 57.782" उ	69°0' 1.525" पू

India.com

61	61	-	23°9' 20.518" उ	68°59' 41.047" पू
62	62	-	23°9' 59.707" उ	69°0' 31.383" पू
63	63	-	23°10' 59.189" उ	69° 0' 28.130" पू
64	64	-	23°10' 17.924" उ	68°59' 20.157" पू
65	65	-	23°11' 58.141" उ	69° 0' 44.911" पू
66	66	-	23°13' 8.812" उ	69° 0' 28.519" पू
67	67	-	23°13' 25.680" उ	68°58' 38.944" पू
68	68	-	23°13' 15.870" उ	68°56' 37.927" पू
69	69	-	23°9' 44.471" उ	68°57' 21.467" पू
70	70	-	23°9' 13.725" उ	68°56' 0.376" पू
71	71	-	23°12' 9.237" उ	68°55' 52.152" पू
72	72	-	23°12' 1.851" उ	68°53' 16.086" पू
73	73	-	23°13' 22.128" उ	68°53' 8.478" पू

उपाबंध-IV

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और भू-निर्देशांक

क्र.सं.	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	वन क्षेत्र हेक्टेयर	गैर वन क्षेत्र हेक्टेयर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र हेक्टेयर
1	भाचुंडा	अवदासा	कच्छ	20.000	373.000	393.000
2	भानादा	अवदासा	कच्छ	956.278	0.000	956.278
3	बितीयारी	अवदासा	कच्छ	0.000	933.740	933.740
4	बूदिया	अवदासा	कच्छ	184.160	417.479	601.639
5	धनवाडा	अवदासा	कच्छ	0.000	1399.089	1399.089
6	धुफी नानी	अवदासा	कच्छ	270.000	0.000	270.000
7	हमीरपार	अवदासा	कच्छ	0.000	636.693	636.693
8	गाधवाडा	अवदासा	कच्छ	310.340	1140.149	1450.489
9	जसपार	अवदासा	कच्छ	0.000	746.953	746.953
10	कलातालव	अवदासा	कच्छ	0.000	1146.046	1146.046
11	खिरासारा(खोथारा)	अवदासा	कच्छ	0.000	1414.670	1414.670
12	कुकदाव	अवदासा	कच्छ	0.000	932.492	932.492
13	कोनथिया	अवदासा	कच्छ	236.890	781.729	1018.619
14	लाला	अवदासा	कच्छ	0.000	1029.823	1029.823
15	प्रजू	अवदासा	कच्छ	211.840	0.000	211.840

16	रावा	अवदासा	कच्छ	0.000	1974.067	1974.067
17	सुदधरो मोती	अवदासा	कच्छ	18.820	2978.551	2997.371
18	सुदधरो नानी	अवदासा	कच्छ	0.000	806.846	806.846
19	वादापाधार	अवदासा	कच्छ	666.320	0.000	666.320
20	विंगाबेर	अवदासा	कच्छ	340.340	1262.663	1603.003
21	रनपार	अवदासा	कच्छ	674.640	113.360	788.000
			कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	**3889.627**	**18087.350**	**21976.977**

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2018

S.O. 6117(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 231(E), dated the 15th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 15th January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

IndiaCode

AND WHEREAS, the Kachchh Bustard Sanctuary is spread over an area of **2.028 square kilometers** and is situated in Abdasa Taluka or Tehsil of Kachchh District in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, the Indian Bustard is a large handsome bird inhabiting in short grass plains of the Indian subcontinent; the Kachchh Bustard Sanctuary (KBS) is situated in North-eastern region of Kachchh District, which is located at 23° 12' North latitude and 68° 43' East longitude; the area is declared as Kachchh Bustard Sanctuary *vide* Government of Gujarat's notification no. GVN-92-17-WLP-1090-2027-V-2, dated the 4th July 1992 of Forest and Environment Department; it is a small patch of land admeasuring 202.86 hectare situated in Jakhau and Budiya villages of Abdasa Taluka of Kachchh district in Gujarat State; the area comprises survey nos. 844, 1482, 1483, 1484 and 1485 of Jakhau village and survey nos. 93, 94, 95,101 and 102 of Budiya village; the land area of Jakhau and Budiya included in the Kachchh Bustard Sanctuary is 101.58 hectare and 101.28 hectare respectively; the Indian Bustard is one of the most endangered members of the bustard family; the species is protected under Schedule-I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Indian bustard is categorised by International Union for Conservation of Nature (Red Data Book) as a critically endangered because of its very small and declining population; the Eco-sensitive zone has been proposed on the basis of recommendations in the study report done by GEER Foundation (2003-2008); it will ultimately help preserving the existing habitat and improve the condition for conservation and declaring this area as an Eco-sensitive Zone, it will restore the eco-system of Indian bustard and its habitat;

AND WHEREAS, the other important fauna species reported from the Kachchh Bustard Sanctuary are shink (*Ophisops microlepis*), trinket snake (*Coelognathus helenus*), Indian chameleon (*Chamaeleon zeylanicus*), saw scaled viper (*Echis carinatus*), black headed royal snake (*Spalerosophis atriceps*), Indian star tortoise (*Geochelone elegans*), hardwicke's bloodsucker (*Brachysaura minor*), spiny-tailed lizard (*Sara hardwickii*), common Indian monitor (*Varanus bengalensis*), marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), banded rock gecko (*Cyrtodactylus kacchensis*), checkered keelback (*Xenochirophis piscator*), buffstripped keelback (*Amphiesma stolatum*), Indian sand boa (*Eryx johnii*), Indian wolf snake (*Lycodon aulicus*), russel's Viper (*Daboia russelii*), common krait (*Bungarus caeruleus*), Indian flapshell turtle (*Lissemys Punctata*), common garden lizard (*Calotes versicolor*), fan throated lizard (*Sitana ponticeriana*), yellow-bellied house gecko (*Hemidactylus flaviviridis*), russell's earth boa (*Gongylophis conicus*), Indian rat snake (*Ptyas mucosa*), Indian cobra (*Naja naja*), etc;

AND WHEREAS, the major flora recorded from the Kachchh Bustard Sanctuary are ran bhindi, Jangli bhindi (*Abelmoschus manihot)*, Chanothi (*Abrus precatorius*), Zinki khapat, Saneri Dabliar (*Abutilon fruticosum*), Khapat, Dabliar (*Abutilon indicum*), Bhonykhanski (*Abutilon theophrasti*), Australian baval (*Acacia auriculiformis*), *Acacia binosa,* Talbavari (*Acacia jacquemontii*), Hermobaval, Hiver, Samadi (*Acacia leucophloea*), Deshi Baval, Mitho Bavar (*Acacia nilotica*), Gorad, Kumbhat (*Acacia Senegal*), Dadri, Runchalo dadro (*Acalypha ciliata*), Vaichikato (*Acalypha indica*), Aghado (*Achyranthes aspera*), Sonar (*Achyranthes aspera*), Gorakh, Rukhdo (*Adansonia digitata*), Ardusi (*Adhatoda zeylanica*), Bili (*Aegle marmelos*), Kapuri (*Aerva lanala*), Buv, Bau, Gorakhganjo ramban, Ketaki (*Agave americana*), Rukhdo, Moto arduso (*Ailanthus excelsa*), Shirish (*Albizia amara*), Dongari (*Allium cepa*), Lasan (*Allium sativum*), Kunvaipato, Ariyo, Gingwar (*Aloe barbadensis*), Kandheri (*Amberboa ramose),* Kariyatu (*Andrographis echioides),* Suwa (*Anethum graveolens),* Chodharo (*Anisomeles indica),* Aredi, Daradi (*Argemone mexicana),* Angario (*Balanites aegyptiaca),* Kanta aserio (*Barleria prionitis),* Poi (*Basella rubra),* Sag (*Tectona grandis),* Chhatro sarpankho (*Tephrosia pauciflora),* Satodo (*Trianlhema portulacastrum),* Satodi (*Trianthema triquetra),* Bhurati, Japati (*Triumfetta rhomboidea),* Nagod (*Vitex nigundo),* Dodi, Motidodi, Malti (*Wattakaka volubilis),* Asondh, Ashwagandha (*Withania somnifera),* Samarapani (*Zornia gibbosa),* Patlani, Atheli, Alethi (*Zygophyllum simplex),* Vadi sadebi (*Vemonia cinerascens),* Sahadevi, Sadedi (*Vernonia cinerea),* Sonasali (*Vicoa indica),* Muth (*Vigna aconitifolia),* Chowla (*Vigna catjang),* Jangli mug, Adbau mug (*Vigna radiata),* Kagda vel *(Vigna trilobata),* Banafsa *(Viola cinerea),* orjo zad *(Zizyphus mauritiana),* etc.;

AND WHEREAS, the rare, and endangered species of the Kachchh Bustard Sanctuary are *Convolvulus stocksii, Helichrysum cutchicum, Heliotropium bacciferum, Commiphora wightii, Heliotropium rariflorum, Pavonia ceratocarpa, Ardeotis nigriceps, Sara hardwickii* (Indian spiny-tailed lizard), *Vanellus gregarius, Hemiechinus collaris* (collared hedgehog), *Sypheotides indica, Felis silvestris, Gazella bennettii,* etc. while Shink (*Ophisops microlepis*) is the endemic species found in the region.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, around the protected area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, as Kachchh Bustard Sanctuary Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 kilometer to 36.70 kilometer around the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary in the State of Gujarat as the Kachchh Bustard Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(1) Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of **zero kilometre to 36.70 kilometre** around the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone is **219.78 square kilometre.**

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I A-B.**

(3) Map (location maps, land use pattern, satellite image) of Eco-sensitive Zone of Kachchh Bustard Sanctuary along with geo-coordinates, is appended as **Annexure II A, Annexure II B and Annexure II C.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Kachchh Bustard Sanctuary is appended as Table A and B of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone is given in **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification, for approval of the Competent Authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

IndiaCode

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(b) Provided also that there shall be no consequential reduction in green areas, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies. -** The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 kilometre from the boundary of the Kachchh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of 1.0 kilometre from the boundary of the Kachchh Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest

and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and the said plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and the said plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder, as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder as amended from time to time.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016, as amended from time to time;

(b) the local authority shall drawn up plans for segregation of solid waste into bio-degradable and no-bio degradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through compositing or vermiculture;

(d) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at sites indentified outside the eco-sensitive zone and no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. –** Bio medical waste management shall be as under: - (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management. -** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared, and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution**. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) **Industrial units**. – (a) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (for hotels and other business related establishment).
9.	Use of renewable energy source-wind mill.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

IndiaCode

16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Conversion of Government waste land to agriculture land.	Regulated under applicable laws.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
32.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

Indiacode

37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels other than wind mill.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted.
39.	Solar energy.	Shall be actively promoted.
40.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Skill development.	Shall be actively promoted.
44.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
45.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	Collector, Kachchh-Bhuj	Chairman
2.	Ecologist/ Scientist, Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj	Member
3.	Official of Panchayat : Block Development Officer of concerned block.	Member
4.	Official of Revenue Department: Mamlatdar of concerned block.	Member
5.	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member
6.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
7.	Official of Geology Department : Geologist, Bhuj	Member
8.	Assistant Conservator of Forests, Kachchh West Division, Bhuj	Member
9.	Range Forest Officer of concerned range	Member
10.	Deputy Conservator of Forests, Kachchh West Division, Bhuj	Member-Secretary

6. Terms of reference. – (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

IndiaCode

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Order of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No 25/43/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE I A – B

A. EXTENT OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR KACHCHH BUSTARD SANCTUARY

Extent of ESZ in different directions (kilometres)	*North*	*0.0 Km*
	North- East	*31.30 Km*
	East	*36.70 Km.*
	South-East	*34.00 Km.*
	South	*5.70 Km.*
	South-West	*1.90 Km.*
	West	*0.0 Km*
	North-West	*0.0 Km.*

In the Jakhau village Eco-sensitive Zone distance has been kept 'zero' meter from the boundary of the Sanctuary.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE

Boundary Description of the Eco-sensitive Zone Area	
North	*Naliya, Chhadura, Ashapar, Gudthar, Sukhpar bara, Tera village Boundary.*
North- East	*Naliya, Dhrufi Moti, Dhrufi Nani village Boundary.*
East	*Berachiya, Mothala, Nundhatad, Halapar village boundary*
South-East	*Halapar, Vinjan village boundary.*
South	*VInjan, Nagor, Bhachunda, Sandhav, Kothara, Bhanada, Vadapadhar, Prajau, Sindhodi Moti, Varnori Budiya village boundary.*
South-West	*Arabian Sea.*

West	*Jakhau village boundary*
North-West	*Jakhau village boundary*

SCHEDULE "A":

The boundaries of the Eco-sensitive Zone around Kachchh Bustard Sanctuary fall in two blocks, Block-1 and Block-2.

In the Block-1, the boundary of the proposed Eco-Sensitive Zone starts in an "inverted V shape" point at Lat-Long N 23-14-32.57 and E 68-47-29.12 at the outer boundary of agriculture survey no.77 of the village Jasapar and goes in the South-East direction for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes North-East direction along the outer boundary of forest survey numbers 85 and 86 for a distance of 0.9 km approximately. At the end of this point it takes a South-East direction along the outer boundary of agriculture survey no.59 of the village Jasapar for a distance of 2.47 km approximately. After this it takes a South-East direction along the outer boundary of forest survey no.149 for a distance of 2.97 km approximately. At this point it takes an East direction along the outer boundary of forest survey no.550 adjoining village Prajau for a distance of 1.65 km approximately ending at Lat-Long N 23-11-23.91 and E 68-49-43.47. At this point it takes North-East direction along the forest survey no.304 of the village Vadapadhar for a distance of 2.80 km approximately. At this point it takes South-East direction along the outer boundary of forest Survey no.304 for a distance of 2.64 km approximately and ends at Lat-Long N 23-11-14.06 and E 68-52-27.93. At this point it takes West direction along the outer boundary forest survey no. 304 for a distance of 2.80 km approximately. After this it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.550adjoining to village Prajau for a distance of 0.66 km approximately. At this point it takes West direction along the forest survey no.550 for a distance of 3.13 km approximately. At this point it takes slight South-West direction along the outer boundary of Vingaber and Lala villages for a distance of 5.44 km approximately. At this point it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.34,35 and 36 for a distance of 1.65 km approximately. After this it takes South-west direction along the forest survey no.37, 38 and 47 for a distance of 2.47 km approximately. At this point it takes South direction along the outer boundary of forest survey no.50, 49 and 48 for a distance of 1.48 km approximately and ends at Lat-Long N 23-07-46.88 and E 68-44-49.16. After this it takes North-West direction along the forest survey numbers 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54 adjoining village Ranpur for a distance of 3.63 km approximately. At this point it takes North-West direction along the agriculture survey numbers 112, 111, 110 and 108 for a distance of 1.81 km approximately. At this point it takes North-East direction crossing the road and passing along the outer boundary of agriculture survey no. 57/1, 62, 63/1, 105, 106 for a distance of 1.48 km approximately. At this point it takes south-East direction along the agriculture survey numbers 106, 105, 104, 65 and 58 of the village Budiya for a distance of 0.82 km approximately. After this point, it takes slight North direction along the forest survey no 101, 1482 and 844 for a distance of 2.6 km approximately. At this point it takes East direction along the forest survey numbers 844, 1484 and 1485 for a distance of 2.22 km approximately. After this point it takes slight North-East direction along the outer boundary of forest survey numbers 89, 88, followed by agriculture survey numbers 17, 86, 85, 84, 21 and 22 for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes South-east direction along the agriculture survey no.22, 23, 24, 25, 15 of the village Budiya followed by agriculture survey numbers 16, 19, 20/1, 20/2, 25 then crosses the road and runs along the agriculture survey numbers 25, 26, 27, 213, 212, and 214 for a distance of 2.99 km approximately. At this point it takes slight North-West direction along the agriculture survey numbers 143, 175, 138, 139/2,139/1 and 141 of Kukadau village for a distance of 1.98 km approximately. At this point it takes West direction along the agriculture survey numbers 81, 73, 142, and 162/1 for a distance of 1km approximately. At this point it takes North-west direction along the agriculture survey numbers 162/1, 4, 5/3, 5/2, 6 and 8 for a distance of 1.15 km approximately. At this point it takes North-East direction along the agriculture survey no.s8, 12/2,12/3,14/1, 13, 15 16, 19, 30, 32/1, 36, and 51 for a distance of 2.14 km approximately. At this point it takes North-East direction along the agriculture survey numbers 51, 52, 56/1, 57,68/2, 68, 169 of village Kukadau followed by agriculture survey no.68 then crosses the road, and traces the outer boundary of agriculture survey no. 71 for a distance of 1.32 km approximately. Then it takes North-East direction along the agriculture survey numbers 37/1, 75, 51, crosses the road followed by agriculture survey numbers 77 of the village Jasapar for a distance of 2.47 km approximately and touches the starting point of Block-1.

In the Block-2, which starts on the North-East corner of Block-1, it starts at the corner point of village boundary Sudadhro Nani near to agriculture survey no. 173 and goes along the village boundary between Naliya and Sudadhro Nani in the North direction for a distance of 2.64 km approximately. Then at this point it takes North direction along the village boundary between Naliya and Sudadhronani and finishing at the tri junction ofAshapar, Sudadhronani and Sudadhromotiat lat-long N 23-16-43 .75, E 68-50-59.36 for a distance of 3.30 km approximately. At this point it takes North direction along the village boundary between Sudadhromoti and Chhadura for a distance of 1.70 km approximately. Then it takes East direction along the village boundary between SudadhroMoti and Gudthar, followed by Sudadhromoti and Sukhpar Bara. Then it takes South direction along the village boundary between SudadhroMoti and Tera for a distance of 3.63 km approximately. Then it takes slight North-East direction of 1.81 km approximately along

the village boundary between kalaTalav and Tera. Then it takes South-east direction along the boundary between Kala Talav and Tera for a distance of 2.47 km approximately. Then it takes North-East direction along the boundary between kala Talav, Tera and Kunathia for a distance of 1.98 km approximately. Then it takes North-east direction till the tri junction of villages Kunathia, Dhrufi Nani and Tera for a distance of 2km approximately. Then it takes North direction along boundary between Dhrufi Nani and Tera for a distance of 2.14 km approximately. Later it takes East direction along the village boundary of Tera, Dhrufi Nani and DhrufiMoti for a distance of 3.40km approximately and ends at lat-long N 23-16-25.36 and E 69-00-14.63. At this point it takes slight South-East direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 298, 287, 421/2, then crosses the road, followed by agriculture survey numbers 25/pt, 51, 63, crosses the road, 294 for a distance of 1.65 km approximately. Then it takes South-West direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 293, 365/1, then crosses the road for a distance of 1.81 km approximately. At this point it takes South-East direction along the agriculture survey numbers 286, 287, 359, 350,349,338, and ends at the North-East corner of agriculture survey no.98 of village Dhrufi Nani for a distance of 2.5 km approximately. Then it takes South direction along the village boundary between Dhrufi Nani and Bitta for a distance of 0.99 km approximately. Then it takes West direction along the boundary between Bitta and Dhrufi Nani and ends at the tri junction of villages Dhrufi Nani, Bitta, and Bitiyari for a distance of 1.32 km approximately. Then it takes South-East direction along the village boundary between Bitta, Bachunda and ends at the tri junction of villages Bitta, Bitiyari and Rava for a distance of 2.90 km approximately. Then it takes slight North-East diection along the village boundary between Rava and Bitta for a distance of 2.50 km approximately. Then it takes East direction along the village boundary between Bitta and Rava and ends at the cross junction of Bitta, Rava, Bavanipar and Berachiya. Then it takes slight South-East direction along the village boundary between Rava and Berachiya for a distance of 1.70 km approximately. Then it takes South direction along the village boundary between rava and Berachiya for a distance of 1.65 km approximately. Later it takes South-East direction along the village boundary of Rava and Mothala for a distance of 3.5 km approximately and ends at the Lat-Long N 23-11-34.52 and E 69-04-15.92. At this point it takes slight South-West direction along the boundary between Rava and Mothala followed by boundary between Gadhvalavada and Nundhtad and ends at the cross junction of four villages Gadhvalavada, Nundhtad, Hajapar and Miyani for a distance of 4.2 km approxiamtely. At this point it takes West direction along the boundary of Gadhvalavada and Hajapar, and ends at tri junction of Gadhvalavada , Hajapar and DhanaVaraVada for a distance of 1.65 km approximately. At this point it takes slight South-West direction along the boundary Hajapar and DhanaVaraVada and ends at the tri junction of DhanaVaraVada, Hajapar and Vinjhan for a distance of 2.50 km approximately. Then it takes South-West direction along the boundary of DhanaVaraVada and Vinjhan for a distance of 2 km approximately and ends at Lat-Long N 23-07-26.90 E 69-01-40.01. Then it takes North West direction along the boundary of Vinjhan and DhanaVaraVada and ends at tri junction of DhanaVaraVada, Gadhvalavada and Vinjhan for a distance of 2.50 km approximately. At this point it takes slight North West direction along the village boundary, Gadhvalavada and Vinjhan, and ends at the tri junction of Vinjhan, Gadhvalavada and Sandhav for a distance of 2.47 km approximately. Then it takes slight North-East direction along the village boundary Sandhav and Gadhvalavada for a distance of 2.14 km approximately. Then it takes North-west direction along the boundary of Sandhav and GadhaValaVada for a distance of 1.15 km approximately. Then it takes North-East direction along the boundary Sandhav, GadhValaVada and Nagor for a distance of 2.14 km approximately. Then it takes North direction along the village boundary, Gadhvalavada and Nagor and ends at the tri junction of Nagor, Gadhvalavada and Bitiyari for a distance of 2 km approximately. At this point it takes South-west direction along the village boundaries Bitiyari and Nagor and ends at tri junction of Bitiyari, Nagor and Sandhav Villages for a distance of 2.64 km approximately. Then it takes North-East direction along nthe village boundary between Sandhav, Bachunda and Bitiyari for a distance of 4.12 km approximately. Then it takes slight North- West direction along the boundary between Bitiyari and Bachunda for a distance of 2.64 km approximately. Then it takes slight North-west direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 345, 41, 40, 37, 36, 414, 34, 18, 291/2, 290/1 of village Bachunda and forest survey numbers 357 and ends at Lat-Long N 23-13-25-68 and E 68-58-38.04 for a distance of 3.5 km approximately. Then it takes West direction along the village boundary of Bachunda and Kunatiya and ends at the tri junction of Bachunda, Kunatiya and Kala Talav for a distance of 3.46 km approximately. Then it takes South direction along the boundary between Kala Talav and Bachunda, then boundary between Khirasara and Bachunda, followed by boundary between Khirasar and Sandhav and ends at tri junction of Khirasara, Sandhav and Kothara for a distance of 6.6 km approximately. Then it takes slight South-West direction along the village between Khirasara and Khotara for a distance of 2.80 km approximately and ends at Lat-Long N 23-09-13.72 and E 68-56-00.38. Then it takes North direction along the village boundry between Kothara-Khirasara followed by boundary between Bhanada and Khirasara for a distance of 5.5 km approximately. Then it takes West direction along the outer boundary of forest survey numbers 387, 380, followed by agriculture survey numbers 80, forest survey no. 379 crosses the road, forest survey no.377, 347 crosses the road and agriculture survey no. 89, crosses the road, agriculture survey no.100, forest survyno.346, 345, crosses the road, forest survey no.341 and agriculture survey no. 18 of Bhanda Village for a distance of 3.50 km approximately. Then it takes North direction along the outer boundary of agriculture survey numbers 22, 23, 24/2, 24/1, crosses the road , 328 and ends at boundary of Sudadhromoti for a distance of 3.50 km approximately touching the starting point of Block-2.

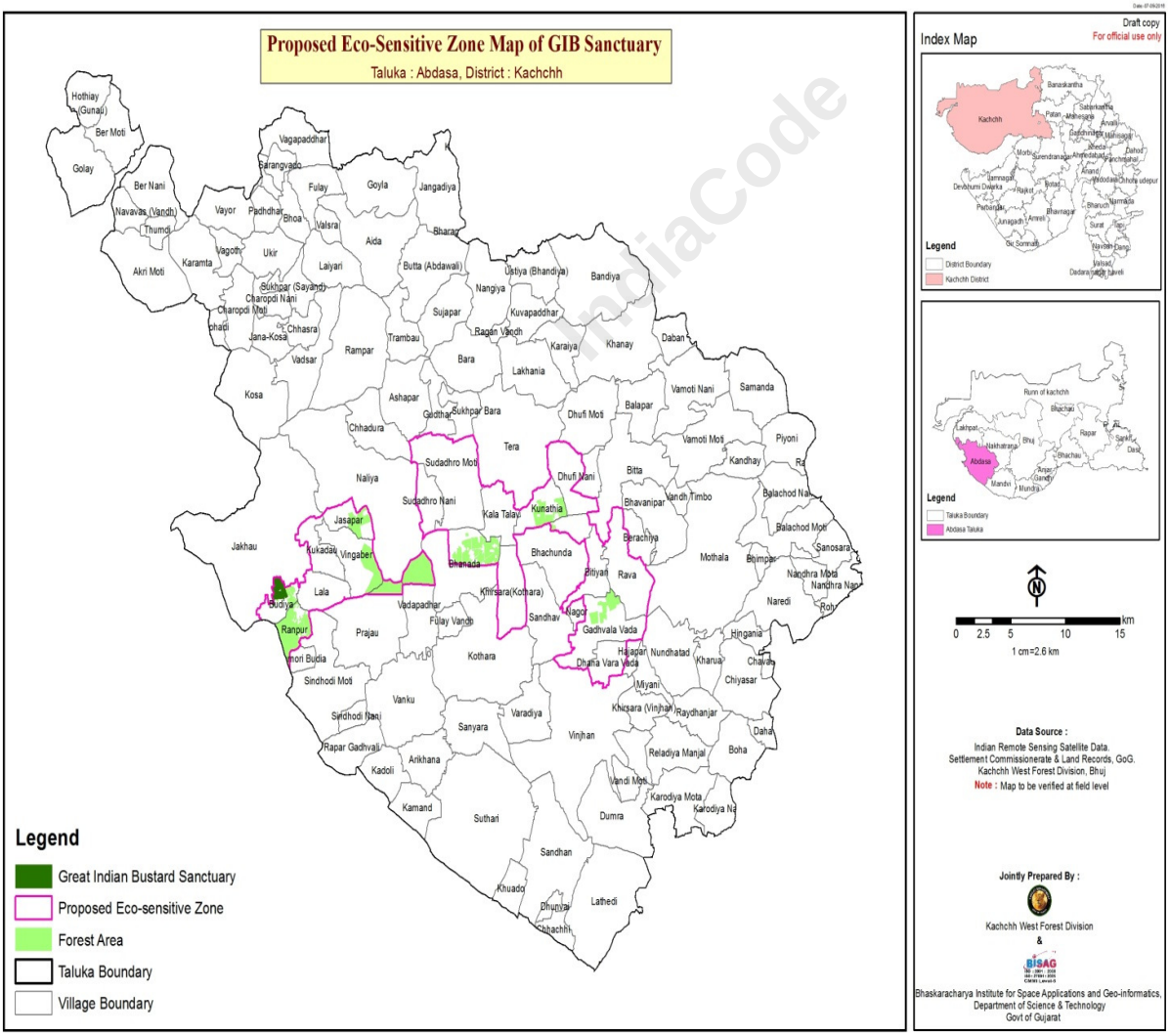
SCHEDULE "B":

Boundary Directions:

NORTH:	Village boundaries of Jakhau, Naliya, Chhadura, Ashapar, Gudthar, Sukhpar Bara, Tera, DhrufiMoti, DhrufiNani and Bitta.
EAST:	Village boundaries of Bhavanipar, Berachiya, Mothala and Nundhtad.
SOUTH:	Village boundaries of Miyani, Hajapar, Vinjhan, Nagor, Bhachunda, Sandhav, Kothara, Bhanada, Vadapadhar, Prajau, SindhodiMoti and Varnori Budiya.
WEST:	Village boundaries of Jakhau and adjoining sea coast.

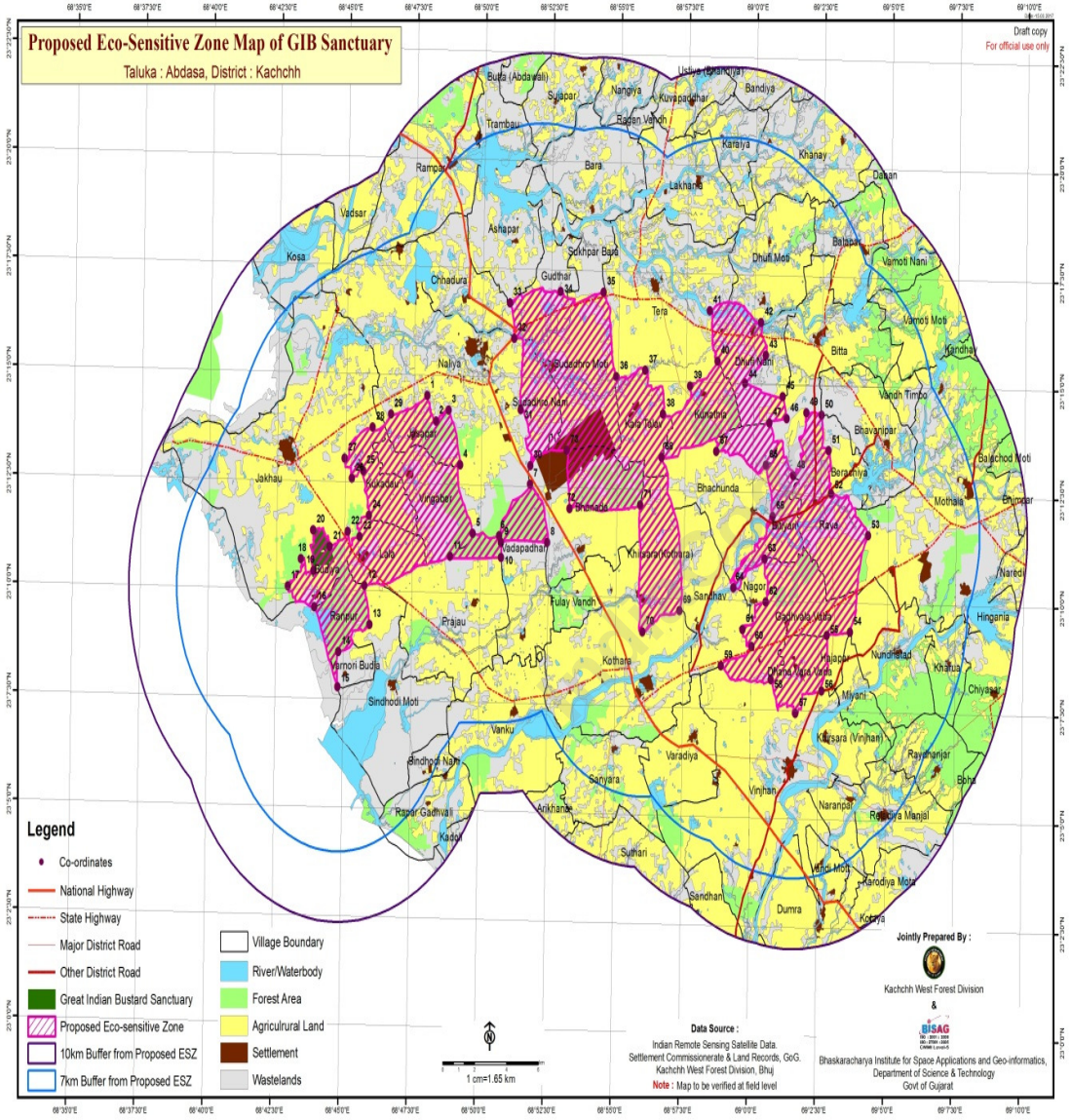
ANNEXURE II A

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)



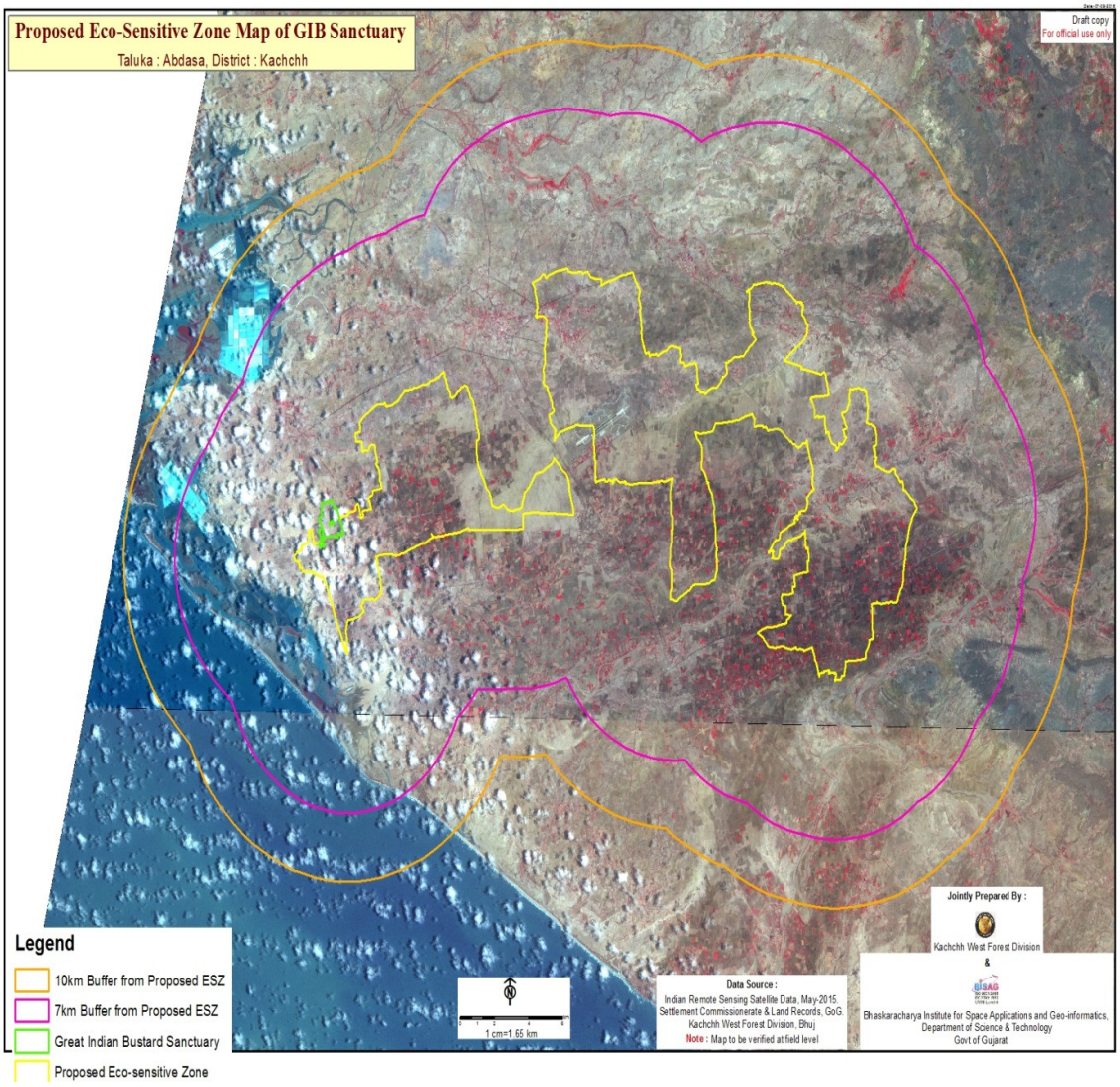
ANNEXURE II B

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD) ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE II C

SETELLITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD)



ANNEXURE III

GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD) AND ECO-SENSITIVE ZONE

TABLE A: Geo-coordinates of Protected Area (As per *attached Annexure-IIA)*				
S. No.	*Identification of Prominent Points*	*Location/ Direction of Prominent point*	*Latitude (N)* (DMS Format)	*Longitude (E)* (DMS Format)
1	*19*	-	23°10'46.400"N	68°43'52.270"E
2	*20*	-	23°11'23.230"N	68°43'50.770"E
3	*21*	-	23°11'2.450"N	68°44'27.200"E
TABLE B: Geo-Coordinates of ESZ Boundary (As per *attached Annexure-IIA)*				
S. No.	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	-	23°14' 32.575" N	68° 47' 59.120" E
2	2	-	23°13' 57.717" N	68°48' 19.199" E
3	3	-	23°14' 13.235" N	68° 48' 46.659" E
4	4	-	23°12' 58.067" N	68° 49' 13.527" E
5	5	-	23°11' 23.907" N	68° 49' 43.469" E
6	6	-	23°11' 21.717" N	68° 50' 41.689" E
7	7	-	23°12' 33.907" N	68°51' 48.637" E
8	8	-	23°11' 14.061" N	68°52' 27.929" E
9	9	-	23°11' 12.502" N	68°50' 46.185" E
10	10	-	23°10' 51.514" N	68° 50' 46.536" E
11	11	-	23°10' 51.183" N	68°48' 54.077" E
12	12	-	23°10' 7.622" N	68°45' 45.900" E
13	13	-	23°9' 14.123" N	68°45' 57.764" E
14	14	-	23°8' 35.146" N	68°44' 50.092" E
15	15	-	23°7' 46.884" N	68°44' 49.158" E
16	16	-	23°9' 36.373" N	68° 43' 55.796" E
17	17	-	23°10' 4.586" N	68°42' 56.636" E
18	18	-	23°10' 42.160" N	68°43' 24.686" E
19	19	-	23°10' 26.381" N	68°43' 52.566" E
20	20	-	23°11' 22.529" N	68°43' 50.777" E
21	21	-	23°11' 0.510" N	68°44' 28.219" E
22	22	-	23°11' 21.957" N	68°45' 7.146" E
23	23	-	23°11' 15.233" N	68°45' 33.866" E
24	24	-	23°11' 44.974" N	68°45' 53.938" E
25	25	-	23°12' 46.361" N	68°45' 39.926" E
26	26	-	23°12' 35.607" N	68°45' 15.171" E

India Code

27	27	-	23°13' 3.142" N	68°44' 58.703" E
28	28	-	23°13' 46.909" N	68°45' 59.551" E
29	29	-	23°14' 5.618" N	68°46' 39.451" E
30	30	-	23°12' 59.452" N	68°51' 48.338" E
31	31	-	23°14' 16.412" N	68°51' 25.943" E
32	32	-	23°15' 54.597" N	68°51' 9.954" E
33	33	-	23°16' 43.753" N	68°50' 59.362" E
34	34	-	23°17' 1.411" N	68°52' 51.153" E
35	35	-	23°17' 1.595" N	68°54' 25.939" E
36	36	-	23°15' 6.012" N	68°54' 56.130" E
37	37	-	23°15' 15.483" N	68°56' 0.000" E
38	38	-	23°14' 15.876" N	68°56' 40.212" E
39	39	-	23°14' 55.135" N	68° 57' 39.503" E
40	40	-	23°15' 30.662" N	68°58' 39.209" E
41	41	-	23°16' 40.153" N	68°58' 20.771" E
42	42	-	23°16' 25.361" N	69° 0' 14.635" E
43	43	-	23°15' 40.244" N	69°0' 25.889" E
44	44	-	23°15' 1.087" N	68°59' 40.684" E
45	45	-	23°14' 44.027" N	69°1' 4.332" E
46	46	-	23°14' 13.645" N	69°1' 13.716" E
47	47	-	23°14' 6.881" N	69°0' 35.490" E
48	48	-	23°12' 54.832" N	69° 1' 29.697" E
49	49	-	23°14' 22.508" N	69°1' 56.736" E
50	50	-	23°14' 19.582" N	69°2' 30.449" E
51	51	-	23°13' 30.690" N	69°2' 46.492" E
52	52	-	23°12' 31.931" N	69°2' 53.259" E
53	53	-	23°11' 34.517" N	69°4' 15.919" E
54	54	-	23°9' 20.545" N	69°3' 38.310" E
55	55	-	23°9' 15.702" N	69°2' 47.104" E
56	56	-	23°7' 58.812" N	69°2' 36.654" E
57	57	-	23°7' 26.897" N	69°1' 40.006" E
58	58	-	23°8' 12.395" N	69°0' 45.001" E
59	59	-	23°8' 29.851" N	68°58' 54.151" E
60	60	-	23°8' 57.782" N	69°0' 1.525" E
61	61	-	23°9' 20.518" N	68°59' 41.047" E
62	62	-	23°9' 59.707" N	69°0' 31.383" E
63	63	-	23°10' 59.189" N	69° 0' 28.130" E
64	64	-	23°10' 17.924" N	68°59' 20.157" E
65	65	-	23°11' 58.141" N	69° 0' 44.911" E

IndiaCode

66	66	-	23°13' 8.812" N	69° 0' 28.519" E
67	67	-	23°13' 25.680" N	68°58' 38.944" E
68	68	-	23°13' 15.870" N	68°56' 37.927" E
69	69	-	23°9' 44.471" N	68°57' 21.467" E
70	70	-	23°9' 13.725" N	68°56' 0.376" E
71	71	-	23°12' 9.237" N	68°55' 52.152" E
72	72	-	23°12' 1.851" N	68°53' 16.086" E
73	73	-	23°13' 22.128" N	68°53' 8.478" E

ANNEXURE IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH BUSTARD SANCTUARY (GREAT INDIAN BUSTARD) AND GEO CORDINATES

Sr. No.	Name of village	Taluka	Distrct	Forest Area Hectare	Non Forest Area Hectare	Total Area of Eco-sensitive Zone Hectare
1	Bhachunda	Abdasa	Kachchh	20.000	373.000	393.000
2	Bhanada	Abdasa	Kachchh	956.278	0.000	956.278
3	Bitiyari	Abdasa	Kachchh	0.000	933.740	933.740
4	Budiya	Abdasa	Kachchh	184.160	417.479	601.639
5	Dhanavada	Abdasa	Kachchh	0.000	1399.089	1399.089
6	Dhufi Nani	Abdasa	Kachchh	270.000	0.000	270.000
7	Hamirpar	Abdasa	Kachchh	0.000	636.693	636.693
8	Gadhavada	Abdasa	Kachchh	310.340	1140.149	1450.489
9	Jasapar	Abdasa	Kachchh	0.000	746.953	746.953
10	Kalatalav	Abdasa	Kachchh	0.000	1146.046	1146.046
11	Khirasara(Khothara)	Abdasa	Kachchh	0.000	1414.670	1414.670
12	Kukdav	Abdasa	Kachchh	0.000	932.492	932.492
13	Konathiya	Abdasa	Kachchh	236.890	781.729	1018.619
14	Lala	Abdasa	Kachchh	0.000	1029.823	1029.823
15	Prajau	Abdasa	Kachchh	211.840	0.000	211.840
16	Rava	Abdasa	Kachchh	0.000	1974.067	1974.067
17	Sudadhro Moti	Abdasa	Kachchh	18.820	2978.551	2997.371
18	Sudadhro Nani	Abdasa	Kachchh	0.000	806.846	806.846
19	Vadapadhar	Abdasa	Kachchh	666.320	0.000	666.320
20	Vingaber	Abdasa	Kachchh	340.340	1262.663	1603.003
21	Ranpar	Abdasa	Kachchh	674.640	113.360	788.000
Total Area in Hectare				**3889.627**	**18087.350**	**21976.977**

IndiaCode

ANNEXURE-V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.18 10:45:51 +05'30'